न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 836 / 2023

अनवान : –

1. बिहारीलाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास तलवाड़ा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. जगमाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास तलवाड़ा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. प्रताप पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. भगवाना पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. भादर पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तलाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. पोपाबाई उर्फ विद्या पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गोरादेवी पत्नी शेराराम व प्रतिवादीया स0 5 व 7 के नाम व रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के माता व पिता है। वादीगण के माता व पिता गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम का स्वर्गवास हो चुका है। शेराराम पुत्र पीरूराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 जो की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनीय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण गोरादेवी व शेराराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया की रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गोरादेवी पत्नी शेराराम व रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया। प्रतिवादी स0 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के माता व पिता है। वादीगण के माता व पिता गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम का स्वर्गवास हो चुका है। शेराराम पुत्र पीरूराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 जो की वादीगण व प्रतिवादी संख्या [illegible] भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गोरादेवी पत्नी शेराराम व रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 व 7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गोरादेवी पत्नी शेराराम व प्रतिवादीया स0 5 व 7 के नाम व रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार गोरादेवी व शेराराम का देहान्त हो चुका है व वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा शेराराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के माता व पिता है। वादीगण के माता व पिता गोरादेवी पत्नी शेराराम व शेराराम पुत्र पीरूराम का स्वर्गवास हो चुका है। शेराराम पुत्र पीरूराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 जो की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गोरादेवी पत्नी शेराराम व रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि शेराराम पुत्र पीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 7 को कोई एतराज नही है। वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से गोरादेवी पत्नी शेराराम व प्रतिवादीया स0 5 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि में शेराराम पुत्र पीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 836 / 2023

अनवान : –

1. बिहारीलाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास तलवाड़ा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. जगमाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास तलवाड़ा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. प्रताप पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. भगवाना पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. भादर पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तलाल पुत्र शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. पोपाबाई उर्फ विद्या पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री शेराराम जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 836 सन 2023 निर्णय दिनांक 06/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 40 की कुल 3.1200 हैक्ट भूमि में से गोरादेवी पत्नी शेराराम व प्रतिवादीया स0 5 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 141/130 की कुल 3.7950 भूमि में शेराराम पुत्र पीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहो को 8/9 हिस्सा भूमि के बहिब व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर